# इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का हुआ आगाज - पहले चरण में 30 सितम्बर तक स्मार्ट फोन का होगा वितरण - जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण में अब तक 1346 स्मार्ट फोन का हुआ वितरण - रोजाना प्रत्येक शिविर में 200 फोन का होगा वितरण - लाभार्थी के मोबाइल पर आएगा मैसेज और कॉल

10 अगस्त 2023, 10:24 PM

जयपुर, 10 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ किया। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में पहले तीन दिन तक पंजीकृत हुए 992 लाभार्थियों को गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम में स्मार्ट फोन का वितरण हुआ तो वहीं, जयपुर शहर में आयोजित कुल 6 शिविरों में 354 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। इस तरह अब तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में योजना के तहत 1 हजार 346 महिलाओं को स्मार्ट फोन की सौगात दी जा चुकी है।

जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्रायें अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे।

फोन पर मिलेगी लाभार्थी को सूचना
कलक्टर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं रविवार के अलावा जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले के सभी 22 शिविरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक शिविर में 200-200 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। किस लाभार्थी को किस दिन किस समय किस शिविर में आना है इसकी सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल एवं मैसेज द्वारा दी जाएगी।

यह है स्मार्ट फोन प्राप्त करने की प्रक्रिया
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक श्री ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा।

इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म पिं्रट करके उसे दिये जायेंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।

इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा ।

यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रूपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा।

यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे।  राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे।

साथ ही श्री ऋतेश कुमार शर्मा ने यह भी बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला मोबाइल उसके साथ लाना आवश्यक होगा। अगर लाभार्थी का मोबाइल नं बदल गया है तो वह शिविर में आने से पूर्व ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया नम्बर दर्ज करवा ले।